न्यायालय राजस्व मंण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0 गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3821-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-10-16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बहोरीबंद जिला कटनी प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/2015-16.

ओजस्वी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्रा0लि0
हरदुआ स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद
जिला कटनी द्वारा - अधिकृत प्रतिनिधि
सुमित अग्रवाल पुत्र स्व. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल
निवासी - आनंद बिहार कालोनी,
कटनी जिला कटनी म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला कटनी म0प्र0

2- सुखचैन पुत्र श्री कल्लू चौधरी
निवासी स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद
जिला कटनी ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी ।
अनावेदक क्रमांक -1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी ।
अनावेदक क्रमांक - 2 एकपक्षीय

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/6/18 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बहोरीबंद जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 1-10-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कंपनी द्वारा ग्राम हरदुवा प0ह0नं0 61 खसरा नं. 123 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि को अनावेदक क्रमांक 2 से

पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 17-6-10 को क्रय किया जाकर उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में दिया गया । नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 22-12-15 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 2 के स्थान पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के 9 माह उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति इस आधार पर चाही गई कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 2 को पट्टे पर दी गई थी । प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय वास्तविक तथ्यों को छिपाकर कराया गया था । अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका दिनांक 26-8-16 के अनुसार उन्होंने कलेक्टर के पत्र दिनांक 24-8-16 का उल्लेख करते हुए नामांतरण/पट्टा निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 181 व 182 के तहत अग्रिम कार्यवाही किए जाने के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर, कटनी को प्रेषित किया । कलेक्टर, कटनी ने दिनांक 27-8-16 द्वारा अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त पट्टा निरस्त करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया । उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश दिनांक 01-10-16 द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे आदेश दिनांक 22-12-15 के पूर्व की स्थिति अनुसार अभिलेख दुरस्त करें । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आलोच्य आदेश अवैध एवं अनुचित है । अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में आदेश पारित करने की अधिकारिता ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें स्वमेव पुनरीक्षण किये जाने के अधिकार ही नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर आदेश पारित किया है नितांत अवैध एवं अनुचित है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय का नामांतरण आदेश अंतिम प्रवृत्ति का होकर अपीलीय आदेश है जिसकी कोई अपील किसी पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देश पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क भी दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सिविल वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि विक्रयपत्र के संबंध में कार्यवाही करने अथवा उसकी वैधानिकता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पट्टेदार द्वारा 10 वर्ष से पूर्व भूमि का विक्रय किया गया है, वैधानिक नहीं है क्योंकि विक्रेता उपरोक्त भूमि का भूमिस्वामी था और राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित था । भूमि अहस्तांतरणीय राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं थी । ऐसी स्थिति में विक्रय किए जाने के पूर्व विक्रय की अनुमति लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई है जबकि अपीलीय न्यायालय को शिकायत के आधार पर न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासन द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 को पट्टे पर दी गई थी । अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा उक्त भूमि का अंतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है वह उचित और न्यायिक है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अनावदक क्रमांक को दिनांक 26-6-02 को शासन द्वारा बंटन में दी गई थी जिसे अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 17-6-10 को 8 वर्षों में ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवेदक को विक्रय किया गया है जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन एवं विक्रेता को समक्ष में उपस्थित कर उसका पक्ष नहीं लिया गया है तथा संहिता में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किए बिना शासकीय बंटन में प्राप्त भूमि को आवेदक के नाम कर दिया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है उनका आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर